

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी  
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे ज  
कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।  
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र  
व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक  
विषय लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी  
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801  
(कायालय)  
2442462 (निवास)  
फैक्स : (0091-0751-2341768  
E-mail : jureg\_gwl@rediffmail.com  
Website : <http://www.jiwaukee.edu/>

प्रेषक :  
कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2011/ 4253

दिनांक : ११/१२/११

## // अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 01 नवम्बर, 2011 के पद क्रमांक (02) के निर्णयानुसार चौथरी दिलीप सिंह कन्या महाविद्यालय, भिण्ड को सत्र 2010-11 के लिये प्रस्तावित/संचालित एम.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

### शर्त/प्रतिबंध :-

- नियुक्तियों का अनुमोदन विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् द्वारा कराया जावे।
- लायब्रेरी में एम.एड. हेतु पुस्तकें अपर्याप्त हैं। अतः रु. 50,000/- की नयी किताबें खरीदी जावें।
- ईटी लैब में 10 नये कम्प्यूटर एवं सायकोलॉजी लैब में नये उपकरण खरीदे जावें।

अदेशानुसार  
3 amb 3  
कुलसचिव

### प्रति,

- प्राचार्य, चौथरी दिलीप सिंह कन्या महाविद्यालय, भिण्ड।
- सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
- आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
- उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
- अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहा.-कुलसचिव (सम्बद्धता)

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी  
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जाये वा  
कि केसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।  
राज्याधित विषय पर यांत्रे पूर्व में पत्र  
व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक  
अवश्य लिखा जाये जिससे सुधिता हो।



ग्राम : श्रीविर्जिटी  
दूरभाष : (0751) 2341896  
(0751) 2442829  
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर

क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/ ५३७४

दिनांक: ८९/०१/१२

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध चौथी पटियाली पत्र कव्या ग्राहविद्यालय, मिण्ड (07534-230615) को सन् 2010-11 एवं 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संबालित बी.एड. पाठ्यक्रम एवं/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

- (1) प्रो. अशोक शर्मा, समाज कार्य एवं आजीवन शिक्षा अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर। (संयोजक)  
(0751-2442841)
- (2) प्रो. मुकेश कटारे, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर।
- (3) डॉ. बी.एल. यादव, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिनियम 27/28 के प्रावधानों के अनुलय महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनुमति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आर्डिनेन्स तथा पिछ्ले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रगाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिनों के अन्दर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर निरीक्षण करायें। समिति संयोजक से निवेदन है कि वे उक्त विधारित समय में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिनों में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें, निरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई देवी के लिये महाविद्यालय तथ्यं उत्तरदायी होगा। जिसकी सूचना जावेगी और पुनः निरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को दण्ड रखलप ०. २५,०००/- जमा करने होंगे। तत्पश्चात् ही निरीक्षण समिति का पुर्णगठन किया जायेगा। परिनियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए विना छब्बों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शांता में कार्यान्वयन अधीक्षक / कार्यालय अधीक्षक पत्रावली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की होगी।

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यगाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करायें। उक्त निरीक्षण १५ दिनों के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सलपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

कुलसचिव

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

संगठन पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी  
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावें जा  
कि छिपी जब उपरिकृती के बारे में।  
उपरिकृत विषय पर यदि पूर्व में यह  
व्यवहार कुआ थों तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक  
अवश्य लिखा जाये जिससे लेखक को जाना जाए।



ज्ञान : जीवाजी विश्वविद्यालय  
दृष्टिगत : (0751) 2341896  
(0751) 2442829  
फैक्टरी : (0751) 2341768

प्रेषक :  
कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर  
क्रमांक-एफ/सम्बद्धता/2009/4561

दिनांक: 15/02/12

## // सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध चौथरी दिलीप सिंह कन्या महाविद्यालय, गिरण (07534-230615) को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित संचालित एम.एड. पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुबंधाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/व्यापी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिवेदन 27(10) के अन्वर्गत निम्नलिखित विरीक्षण समिति का गठन किया है :-

- (1) प्रो. जे.एन. गौतम, आचार्य, प्रूप्त. एवं सूचना विज्ञान अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर। (संयोजक)  
(0751-2442565)
- (2) प्रो. अशोक शर्मा, आचार्य, सम्जनकार्य एवं आजीवन विज्ञान अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।
- (3) प्रो. राजीव जैन, अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद्, जी.वि.वि., ग्वालियर।

विरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिवेदन 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष विरीक्षण कर शुरू, घरेहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्ट्रॉफ, प्राप्तिकृत संस्था से प्राप्त अनुभाव/अनापति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आडिलेन्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति यथा प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्ट्रॉफ की विवृक्षियों का प्रमाण एवं देतन उपरि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुबंधों अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर विरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर विरीक्षण करायें। समिति संयोजक से विवेदन है कि वे उक्त विवरीक्षण समय में विरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। विरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तराधिकृत विरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

“समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद विरीक्षण में की गई देखी के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदाती होगा। विरीक्षणी सूचना आयुक्त, उच्च विज्ञान, औपाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में विरीक्षण बही करता है तो समिति स्वयं विरस्त हो जावेगी और उन्हें विरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को दण्ड द्वारा रु 25,000/- जमा करने होंगे। तपश्चात् ही विरीक्षण समिति का पुरुगत दिया जायेगा। परिवेदन 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए विज्ञान छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

विवीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शास्त्र में कार्यात् अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जावेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से विरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। विरीक्षण समिति के सदस्यों को ली.ए. / डी.ए. / मार्केट महाविद्यालय हाउ देख होंगा।

कुलसचिव

### प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आगाह है कि समिति के संयोजक द्वारा संपर्क स्थापित कर विरीक्षण दिनांक विद्यार्थित कर महाविद्यालय का विरीक्षण करायें। उक्त विरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च विज्ञान, सत्रभुजा अवन, औपाल
4. कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पञ्च व्यवहार कुलसचिव जीवाजी  
विश्वविद्यालय के बजे से तीन दिक्षा जावे जा  
ती हैं। जिन्हीं अब व्यवहिकारी के नाम से।  
सम्बद्धित विषय पर यदि पूर्ण में पञ्च  
व्यवहार हुआ हो तो यत्र क्रमांक एवं दिनांक  
अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।



ग्राम : दूनीपुरी  
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801  
(कार्यालय)  
2442462 (जिकासा)  
फैक्स : (0091-0751-2341768  
E-mail : jureg\_gwl@rediffmail.com  
Website : <http://www.jiwaji.edu/>

प्रेषक :  
कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2011/ 4698

दिनांक : 22/03/12

## // अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 09 फरवरी 2012 के पद क्रमांक (02) के निर्णयानुसार चौधरी दिलीप सिंह कन्या महाविद्यालय, भिण्ड को सत्र 2010-11 के लिये प्रस्तावित/संचालित एम.ए. उत्तरार्द्ध (भूगोल), एम.एस.-सी. उत्तरार्द्ध (माइक्रोबायलौजी), एम.कॉम. उत्तरार्द्ध एवं एम.एस.-सी. पूर्वार्द्ध (बायोटेक्नॉलॉजी एवं गणित) पाठ्यक्रम के लिये अद्यार्द्ध सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

### वार्तुस्थिति :-

चौधरी दिलीप सिंह कन्या महाविद्यालय, भिण्ड को सत्र 2010-11 की सम्बद्धता की अनुशंसा M.A. (F) Geography, M.Sc (F) Microbiology, M.com (F), M.Sc (Pre.) Biotech, Maths) विषयों के लिये इसलिये की जाती है। क्योंकि महाविद्यालय ने सत्र 2010-11 हेतु घ्रेश दे दिये हैं। अन्यथा महाविद्यालय के पास जितने पाठ्यक्रम हैं, उन पाठ्यक्रमों हेतु न तो कक्ष है, न ही प्रयोगशालाएँ हैं, न ही उनमें उपकरण हैं। महाविद्यालय की दशा पिछले अलेक वर्षों से यथावत है एवं अधोसंख्या सुधार हेतु कोई सार्थक प्रयास नहीं हो रहा है। हमारा सुझाव है कि विश्वविद्यालय एक अकादमिक उड़नदस्ता वहाँ भेजे एवं महाविद्यालय में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों के संदर्भ में पूरी संरचना का नूत्यांकन करें। उसके पश्चात ही अगले वर्ष की सम्बद्धता पर विचार किया जाये।

आदेशानुसार  
3  
कुलसचिव

### प्रति :-

- प्राचार्य, चौधरी दिलीप सिंह कन्या महाविद्यालय, भिण्ड।
- आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
- उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
- अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

*[Signature]*  
झाना-कुलसचिव (सम्बद्धता)

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समृद्ध पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जाए तो न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।  
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार कुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जाए जिससे सुविधा हो।



पत्र : गुरुवारी  
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801  
24424602 (फोल्यू)  
फैक्स : (0091-0751-2341768)  
E-mail : jureg\_gwl@rediffmail.com  
Website : http://www.jiwayi.edu/

प्रेषक :  
कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2012/5014

दिनांक : 7/06/12

## // अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 22 मार्च 2012 के पद क्रमांक (13) के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एच.एस-टी., बी.ए.-हिन्दी, अंग्रेजी, गृहविज्ञान, इतिहास, राजनीतिशास्त्र, आ.पा., संस्कृत, भूगोल, अर्थशास्त्र, सैन्यविज्ञान, बी.लि.ब., बी.सी.ए., बी.कॉम.-कम्प्यूटर एप्लीकेशन-अति. विषय), बी.एस-सी.-आ.पा., जन्म विज्ञान, गणित, वनस्पतिशास्त्र, रसायन, भौतिकशास्त्र, सैन्य विज्ञान)(माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, कम्प्यूटर साइंस- अति. विषय) एम.ए.-हिन्दी, संस्कृत, समाजशास्त्र, अंग्रेजी, सैन्य विज्ञान), एम.एच.एस-सी.-फूड एण्ड न्यूट्रीशन), एम.एस-सी.-जन्म विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन, भौतिकशास्त्र, कम्प्यूटर साइंस) एवं एम.लि.ब. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता विचार शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

### शर्तें/प्रतिबंध :-

- जिन शिक्षकों की नियुक्ति 28(17) के अन्तर्गत हो चुकी है उनका कार्यपरिषद् से अनुमोदन कराये।
- जिन विषयों में 28(17) की नियुक्ति जहाँ की गई हैं उन्हें तत्काल कराये।
- लाइब्रेरी में सभी विषयों की रु. 1,50,000/- की पुस्तकें क्रय करें।
- शिक्षकों को वेतन वैक/बैंक के माध्यम से प्रदान करें।
- शासकीय निकाय की बैठकों को बियमित रूप से आयोजित करें।
- परिनियम 27-28 का पालन सुनिश्चित करें।

आदेशाब्दिकार  
कुलसचिव

### प्रति,

- प्राचार्य, चौधरी दिलीप सिंह कन्या महाविद्यालय, भिण्ड
- आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुङ्ग भवन, भोपाल।
- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती गहल परिसर, ग्वालियर।
- उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
- अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं ग्रावश्यक कार्यगाही हेतु।

उपकुलसचिव (सम्बद्धता)

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसंचित जीवाजी  
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे व  
कि किसी अव्यय पदायिकाएँ के नाम से।  
समन्वित विषय पर वही पूर्ण में पत्र  
व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक  
अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।



ग्राम : यूनिवर्सिटी  
दूरभाष : (0751) 2341896  
(0751) 2442829  
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :  
कुलसंचित,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर  
क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/ 5119

दिनांक: 24/7/12

## // सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध चौ. दिलीप सिंह कब्दा महाविद्यालय, भिण्ड (07534-230615) को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित संचालित बी.ए., बी.लिब., एम.ए. हिन्दी, संस्कृत, समाजशास्त्र, अंग्रेजी, गैंड विज्ञान, पाठ्यक्रमों/विषयों की अख्याती सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिवेदन 27(10) के अन्तर्गत जिम्मानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

- (1) प्रो. आई.बी. सिंह, प्राचार्य, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय, ग्वालियर। (संयोजक)  
 (2) डॉ. आर.एस. भद्रौरिया, शासकीय कॉलेज, डबरा।  
 (3) डॉ. राजरामी शर्मा, आचार्य, शा. के.आर.जी. कॉलेज, ग्वालियर।  
 (4) डॉ. ओ.पी. बुधौलिया, शासकीय के.आर.जी. कॉलेज, ग्वालियर।  
 (5) डॉ. हेमन्त शर्मा, आचार्य, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।  
 (6) प्रो. ए.के. शर्मा, आचार्य, समाजकार्य एवं आजीवन शिक्षा अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिवेदन 27/28 के प्रावधारों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुरू, घरेहर गांधी, गोचित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ़, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/वृत्तापत्ति प्रमाण-पत्र, भवन, छीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आईनेन्सा तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति सम्बन्धीय पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ़ की विद्युक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें।

स्थायी समिति एवं कार्यपालिका के विर्यानुसार वर्ष 2012-13 के लघु सम्बद्धता प्रकरण 30 जून, 2012 के पूर्व ही स्थायी समिति के लगत प्रस्तुत किए जावे हैं। अतः सम्भव उनितियों के संयोजकों एवं महाविद्यालयों के प्राचार्यों / संस्था के अध्यक्षों / सचिवों का यह उत्तरदायित्व है कि वे अपने महाविद्यालयों का निरीक्षण विधीनित अवधि से पूर्व ही अत्यावश्यक रूप से सम्पन्न करा लें। यदि कोई भी महाविद्यालय निरीक्षण हेतु तिथि के लियार्थि के लिए इस अधिसूचना जारी होने के दूसरे तक संयोजक से सम्पर्क नहीं करता है तो संबंधित संयोजक स्वयं समिति के सदस्यों के साथ किसी भी दिन सम्बन्धित महाविद्यालय का निरीक्षण कर अपना प्रतिवेदन विश्वविद्यालय कार्यालय को आवश्यक रूप से जगा कर सकते हैं।

वर्ष 2012-13 के लिए सम्बद्धता सम्बन्धी किसी भी प्रकरण में 30 जून, 2012 के पश्चात् किसी भी समिति का प्रतिवेदन उचिकार नहीं किया जा सकेगा। जो ही महाविद्यालयों के लिए पुनः समितियों के गठन सम्बन्धी आवेदन पत्रों को उचिकार किया जा सकेगा।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता साझा में कार्यात् अधीक्षक / कार्यालय सहायक प्राकार्ती लेकर जाएंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को ठी.ए. / ठी.ए. / मालदेव महाविद्यालय द्वारा देव होगा।

### प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से लूपकं स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करायें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अवधि कराने की व्यवस्था करें।
3. अनुकूल उच्च शिक्षा, सतषुङ्ग भवन, औपाल
4. कुलाधिसंचित, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसंचित के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

उप. कुलसंचित (सम्बद्धता)

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र खाताहार कुलसचिव जीवाजी  
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जाए ज  
कि किसी उल्लंघन को जारी न  
हो।  
उल्लंघित विषय पर यदि पूर्ण में पत्र  
खाताहार हुआ तो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक  
अवश्य लिखा जाए जिससे संपर्क हो।



ग्राम : दूरीवर्ती  
दूरभाष : (0751) 2341896  
(0751) 2442829  
फँक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :  
कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर  
क्रमांक एफ/सम्बद्धता/2009/ ५१२०

दिनांक: २५/७/१२

## // सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध वौ. दिलीप सिंह कन्या महाविद्यालय, अिंड (07534-230615) को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एव.एस-सी., बी.सी.ए., बी.कॉर्स, बी.एस-सी. (पूर्ण एवं अनुभाग), एम.एव.एस-सी. (जन्मविद्यालय, बनसपति, रसायन, और्तिकशास्त्र, कम्प्यूटर साइंस) पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अध्यायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिवियम 27(10) के अन्तर्गत विराजनुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

(1) प्रो. गहेश प्रकाश, आचार्य, भौतिकी अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।

(संयोजक)

(0751-2442779)

(2) प्रो. आर.जे. राव, आचार्य, प्राणिकी अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।

(3) प्रो. अविनाश तिवारी आचार्य, पूर्ण टैक्लोलॉजी अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।

(4) प्रो. सी.पी. शिव्वे, आचार्य, रसायन अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।

(5) प्रो. एस.के. गुप्ता, आचार्य, रसायन अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।

(6) डॉ. ज्योति प्रसाद, प्राचार्य, शासकीय कृषी.आर.एस. कन्या महाविद्यालय, मुराद, ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के छात्रों से अनुरोध है कि वे परिवियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुरू, घोटाले, वाकिल शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ़, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनुमति प्रमाण-पत्र, अवल, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आर्डिनेस तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ़ की विस्तृतियों का प्रमाण एवं वेतन अदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुसंधाने अंकित करें।

स्थायी समिति एवं कार्यपालिका के विराजनुसार वर्ष 2012-13 के सभी सम्बद्धता प्रकरण 30 जून, 2012 के पूर्ण ही स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। जहां समस्त समितियों के संयोजकों एवं महाविद्यालयों के प्राचार्यों / संस्था के अध्यात्मों / अधिकारों का यह उत्तरदायित्व है कि वे अपने महाविद्यालयों का निरीक्षण विधारित अवधि से पूर्ण ही अवश्यक रूप से सम्पन्न करा लें। यदि कोई भी महाविद्यालय निरीक्षण हेतु तिथि के बिश्रांति के लिए इस अधिसूचना जारी की जाए के एम साह तक संयोजक से सम्झक लाई करता है तो संबंधित संयोजक स्थायी समिति के सदस्यों के साथ किसी भी दिवं अनुसन्धान निराविद्यालय का निरीक्षण कर अपना प्रतिवेदन विश्वविद्यालय कार्यालय को आवश्यक रूप से जमा कर सकते हैं।

वर्ष 2012-13 के लिए सम्बद्धता सम्बन्धी विद्यार्थी प्रकरण में 30 जून, 2012 के पश्चात् किसी भी समिति का प्रतिवेदन स्वीकार बही किया जा सकेगा। वा छोटी नियमितीयों के लिए पुरुष समितियों के गठन सम्बन्धी आवेदन पत्रों को स्वीकार किया जा सकेगा।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शास्त्र में कार्यक्रम अधीक्षक / कार्यालय महाविद्यालय प्रावक्षीली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए. / डी.ए. / मानदेव महाविद्यालय द्वारा देव होगा।

### प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर गोजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करावें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर करावे की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भरव, भोपाल
4. कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के बिजी महाविद्यालय, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

उप. कुलसचिव (सम्बद्धता)

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समात पत्र अवधार कुलसचिव जीवाजी  
विश्वविद्यालय में नज से ही किया जाए ब  
के किसी अन्य पदाधिकारी के नाम है।  
रब्बिट लिख पर लिए पूर्ण में पत्र  
अवधार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक  
अद्यता लिखा जाए जिससे सविष्या हो।



ग्राम : ग्रनीकर्त्ता  
दूरभाष : (0751) 2341896  
(0751) 2442829  
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर

क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/5/35

दिनांक: २५/७/१२

## // सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध चौथरी दिलीप सिंह कन्या महाविद्यालय, भिष्णु को सत्र 2012-13 के लिये प्रत्यापित/संचालित बी.एड. एवं एम.एड. पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिवियम 27(10) के अन्वगत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

(1) प्रो. ए.के. शर्मा, आचार्य, समाजकार्य एवं आजीवन शिक्षा अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर। (संयोजक)  
(0751-2442630)

(2) डॉ. एस.के. सिंह, उपचार्य, गणिज्य अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।

(3) श्रीमती सुनीता तिवारी, व्याख्याता, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिवियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर द्युक्त, धरोहर यथि, तांचिल शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आर्डिनेन्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति यथा प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के गारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से संपर्क स्थापित कर बिरीक्षण करावें। समिति संयोजक से बिरेवज है कि वे उक्त नियोगित समय में बिरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। बिरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

निरीक्षण गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद बिरीक्षण में कोई गई देही के लिए महाविद्यालय ख्यां उत्तरदायी होगा। जिसकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में बिरीक्षण नहीं करता है तो समिति ख्यां निरस्त हो जावेगी और पुज़: निरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को दण्ड स्वरूप रु. 25,000/- जमा करने होंगे। तत्पश्चात ही निरीक्षण समिति का पुरुर्गत किया जावेगा। परिवियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

बिरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शास्त्र में कार्यालय अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जावेगे तथा महाविद्यालय की अस्थायित्व से निरीक्षण समिति को अवगत करावेगे। बिरीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए. / डी.ए. / मानदेव महाविद्यालय द्वारा देव लेगा।

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

- समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- प्राचार्य/अध्यक्ष, संचालित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर बिरीक्षण दिनांक नियोगित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करावें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर करने की व्यवस्था करें।
- आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
- कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
- कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

उप-कुलसचिव (सम्बद्धता)

## जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

उत्तम एव व्यवहार कुरास्तित नोंदाजी  
विश्वासेत्याद्य ये ग्रन्थ ते ही विषय तो न  
कि निती अन्य पर्याप्तियां ते वस्तु ते।

उत्तमता विकल्प वा विद्या युक्त एव  
व्यवहार द्रुता ते यो एव व्यवहार उपर्युक्त  
विषय विलोचन वादे विकल्पे अभियासे।



काल : दूसरी शताब्दी  
 दृश्यमान : (0751) 2241896  
 (0751) 2442822  
 वर्तमान : (0751) 2241750

प्रेषक :  
कुलसाहित्य,  
जीवाज्ञी विष्वविद्यालय  
बहालिशर  
द्रामाकाण्ड/संगविज्ञान।

द्रविड़ काल्पनिक/संबोधना/2009/ ५१७६

Rev. 13108112

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्राहतिवार से तम्बाकू वौधरी दिलोप लिंग कन्या ग्राहतिवालत्य, शिष्ट (07534-230615) को उत्तर 2012-13 के लिये प्रत्यापिता/संचालित बी.बी.ए. प्रश्न वर्ष, पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/रिपोर्टों की अस्थायी तम्बाकूता हेतु अनुशंसाएं प्रदान करने के लिये मात्राकीय कुलपति नहेवृद्धत्याकी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्राहतिवार वे विश्वविद्यालय अधिकारियम् 1973 के यारिलियम् 27(10) के अन्तर्गत विभागभुसार जिरीक्षण समिति का गठन किया है :-  
जी.वि.डि., न्यायिकार।

- (1) डॉ. वोजेश उपाध्याय, विभागाध्यक्ष, प्रवर्तन अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ब्यालियर।
  - (2) डॉ. एस.के. सिंह, आचार्य, वाणिज्य एवं प्रबंध अध्ययनशाला, जीवाजी विश्वविद्यालय, ब्यालियर।
  - (3) डॉ. के.एस. गुर्जर, उपाचार्य, शास्त्रीय शिक्षा अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ब्यालियर।

(हिंदी) ज्ञान

बिहीक्षण समिति के अदरमें हो अनुरोध है कि वे परिविष्टम् 27/28 के ग्रावधारों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, प्रयोग्य लाभ, अंकित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉक, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनुमति प्रमाण-पत्र, शब्दन, क्रोडा परिसर एवं पाल्यक्रम/अर्डिलेल्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति जय प्रमाण यत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉक की नियुक्तियों का प्रमाण एवं बेतब आदि के बारे में स्पष्ट विवरण, अनुसंसारी अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र छापा होने के 30 दिवस के अवधि बिहीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्बन्धी स्वापित कर बिहीक्षण करें। समिति संयोजक से विवेदन है कि वे उक्त विषयादित उम्मेय में बिहीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। बिहीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तराधिकार बिहीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद विरीक्षण में की गई दैरी के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा। जिसकी सुरक्षा आवृत्ति, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में विरीक्षण नहीं करता है तो समिति स्वयं विरस्त हो जावेगी और पुनः विरीक्षण समिति गठन के द्वारा महाविद्यालय को दण्ड स्वरूप रु. 25,000/- जमा करवे होंगे। तत्पश्चात् ही विरीक्षण समिति का युल्यांग दिया जावेगा। परिविषयम् २८(१)(७) के अनुसार सम्बन्धित प्राप्त किए विषा छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

विरीक्षण समिति के साथ जनसंख्या शास्त्र में कार्यदात अधीक्षक / काव्यालिय संसाधक पत्रावली लेकर जायेंगे। इस महाविद्यालय की वस्तुरिप्रति से विरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। विरीक्षण समिति के सदस्यों को ठी.ए. / डी.ए. / मासदेव महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

३ अप्रैल २०१५

ପରିଚୟ =

1. समर्पण सदस्यों की ओर सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
  2. प्राधार्य/अध्यक्ष, संचयित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि लमिटेड के लंयोजक से रांपक न्यायित कर लिरीक्षण दिनांक लियारित कर महाविद्यालय ने लिरीक्षण करावें। उक्त लिरीक्षण 15 दिवस के अवधि करावे की व्यवस्था करें।
  3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भरव, भांपाल
  4. कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, व्यालियर
  5. कुलपति के सचिव / कूलसचिव के लिजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, व्यालियर

## अथ. कुलसंघिव (सम्बन्धता)